



उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
“बिना सीवी के बिना”  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

46वीं, आईटी रोड, सारखण्ड रोड, देहरादून। वेब: www.ueppcb.ug.gov.in

**पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के दिने सुनना**

श्री सुरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री पद्म सिंह, ग्राम कुरुली, सहस्रील व जिला बागेश्वर एवं श्री हरीश चन्द्र जोशी, पुत्र श्री नन्दन बल्लभ जोशी, ग्राम महतागांव, सहस्रील व जनपद बागेश्वर द्वारा ग्राम कुरुली, सहस्रील व जिला बागेश्वर में सोलरटोन माइन (क्षेत्रफल-4.819 हे०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण सभाघटा निर्धारण घाटिबन्धन (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ज्ञात पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रभावना योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई. आई. ए. अधिसूचना 14.09.2008 ब्याखण्डोचित के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राधान्य है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समानार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है—

- 1. जिलाधिकारी, जनपद, बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से उच्च पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
- 2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून, मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46वीं, आईटी रोड, सारखण्ड रोड, देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल, कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर, कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर, जिला उद्योग केंद्र, बागेश्वर एवं नगर पालिका परिसर, बागेश्वर में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक संस्था / व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। ज्ञात पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारंश की प्रति [www.ueppcb.ug.gov.in](http://www.ueppcb.ug.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

श्री सुरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री पद्म सिंह, ग्राम कुरुली, सहस्रील व जिला बागेश्वर एवं श्री हरीश चन्द्र जोशी, पुत्र श्री नन्दन बल्लभ जोशी, ग्राम महतागांव, सहस्रील व जनपद बागेश्वर द्वारा ग्राम कुरुली, सहस्रील व जिला बागेश्वर में सोलरटोन माइन (क्षेत्रफल-4.819 हे०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई दिनांक 04.05.2022 को प्रातः 11.00 बजे से परियोजना स्थल में सारखण्ड कोविड-19 के संदर्भ में विद्यमान SOP के अन्तर्गत डिस्टेंसिंग आवश्यक रूप से आरक का प्रयोग, शर्मल सूचीनिंग एवं हेडवार्ड व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों को साध निर्धारित की जाती है।

उक्त सावधान्य को सुनिश्चित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी में एक सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सादर सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

*Handwritten signature and date*